831

[2022] 1 एस. सी. आर 831

क.

मास्टर आयुष

वी.

द ब्रांच मैनेजर, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 2205-2206) 29 मार्च, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन-क्षतिपूर्ति-अपीलार्थी को 2010 में एक पाँच साल के लड़के के रूप में दुर्घटना का सामना करना पड़ा-वह चोटों का सामना करना पड़ा और एक पैराप्लेजिक रोगी बन गया-अपीलार्थी अपने दोनों पैरों को हिलाने में सक्षम नहीं था और पैरों में पूरी तरह से संवेदी हानि, मूत्र असंयम और आंत्र कब्ज और बिस्तर का दर्द था। 18,24,000-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे के रूप में दिया गया-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को घटाकर Rs.13,46,805/- कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःराज्य अधिसूचना के संदर्भ में, दुर्घटना की तारीख को एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी लगभग Rs.3700---------- - 7.5% पी. ए. दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति तक।

ग

डी.

ई.

च

मोटर वाहन-मुआवजा-न्यायसंगत मुआवजा-व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण-आयोजितःयह आसान नहीं है-मानसिक और शारीरिक नुकसान की गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, लेकिन पीड़ित को उचित मुआवजे के भुगतान के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है।

जी.

एच.

831

832 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

क.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.**वर्तमान अपील में**,** राज्य में किसी भी अनुसूचित रोजगार के अंतर्गत नहीं आने वाले रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का पता राजपत्र में **19.02.2007** पर प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना से लगाया जा सकता है।इसलिए**,** उसी के अनुसार**, 2010-11** में एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी रु। **3708.70**।इस दृष्टिकोण से**,** दुर्घटना की तारीख को न्यूनतम मजदूरी को **Rs.3700-**तक पूरा किया जाता है।अतः मुआवजे का निर्धारण उक्त न्यूनतम मजदूरी के आधार पर इस धारणा पर किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी बहुमत प्राप्त करने के बाद अर्जित करने में सक्षम होता।कुशल न्यूनतम मजदूरी के अलावा**,** अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के लिए **40** प्रतिशत का भी हकदार होगा।इस प्रकार**,**

मुआवजा **Rs.3700-**प्लस **40** प्रतिशत है**,** जो रु। **5180/-** प्रति माह।**18** का गुणक अपीलार्थी की आयु को देखते हुए लागू होगा।स्थायी अक्षमता एफ या जीवन के कारण भविष्य की कमाई का नुकसान इस प्रकार **Rs.11,18,880/-,** यानी**, (3700+1480 = 5180) x 12 x 18** होता है।**[**पारस **7,8,9** और **10] [838-**एफ**; 839-**सी-एफ**]**

ग

डी.

काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य **(2020) 4** एस**.** सी**.** सी**. 413**

– प्रतिष्ठित।

ई.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

& ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100-पर निर्भर।

2. व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण आसान नहीं है।मानसिक और शारीरिक नुकसान की गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है**,** लेकिन पीड़ित को उचित मुआवजे के भुगतान के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है।इसलिए**,** शारीरिक स्थिति को देखते हुए**,** अपीलार्थी अपने शेष जीवन के लिए एक परिचारक का हकदार है**,** हालांकि वह सहायक उपकरण की मदद से चलने में सक्षम हो सकता है।इस उपकरण को हर **5** साल में बदलने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए**, 2** उपकरणों यानी **Rs.10** लाख की लागत देना उचित है।अपीलार्थी ने न केवल अपना बचपन बल्कि वयस्क जीवन भी खो दिया है।इसलिए**,** विवाह की संभावनाओं के नुकसान को भी सम्मानित करने की आवश्यकता होगी। न्यायाधिकरण ने टैक्सी के खर्च के दावे को इस कारण से खारिज कर दिया था कि टैक्सी चालक के पास ए है।

च

जी.

एच.

833

मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

उत्पादित नहीं किया गया।असंख्य टैक्सी चालकों को तैयार करना असंभव है।इसके अलावा**,** न्यायाधिकरण को उस बच्चे की स्थिति का एहसास होना चाहिए था जिसके पैरों में पूरी तरह से संवेदी हानि थी।इसलिए**,** अगर बच्चे के माता**-**पिता उसे टैक्सी में ले गए हैं**,** तो शायद उनके लिए यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था।तदनुसार**,** परिवहन शुल्क के रूप में **2** लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।**[**पैरा **12] [840-**ए**-**डी**]**

3. **"**भोजन और पोषण या बचपन के नुकसान के लिए**"** शीर्षक के तहत कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि यह अन्य विभिन्न शीर्षों के तहत मूल्यांकन किए गए मुआवजे में शामिल है।काजल में निर्णय और मुआवजे के निर्धारण के अन्य सिद्धांतों को देखते हुए**,** कुल मुआवजा रु। **49,93,000-(**जिसमें जीवन भर के लिए स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए **Rs.11,18,880** शामिल हैं**;-**चिकित्सा खर्चों के लिए रु**. 5,74,000,** भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए **00,000/-** अर्थात। चलने के लिए दो सहायक उपकरणों की खरीद के लिए**;** दर्द**,** पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए**, 00,000/-** रुपये**,** शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए**,** एक परिचर शुल्क के लिए**,** और परिवहन शुल्क के लिए**,** न्यायाधिकरण द्वारा पहले से ही दिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए ब्याज के साथ। **7.5%** पी**.** ए**.** दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति तक।**[**पारस **13,14] [840-**डी**-**एच**; 841-**ए**-**बी**]**

ग

डी.

ई.

काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य, (2020) 4 एससीसी 413

– पर भरोसा किया।

च

4. चूँकि अपीलार्थी नाबालिग है**,** इसलिए **<ID1,00,000/-** की राशि अपीलार्थी के पिता को उसके संरक्षक के रूप में वितरित की जाएगी।हालाँकि**,** यदि **Rs.10,00,000/-** से अधिक राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है**,** तो उक्त राशि को समायोजित नहीं किया जाएगा।शेष राशि का निवेश एक या अधिक सावधि जमा प्राप्तियों में किया जाएगा ताकि अधिकतम ब्याज दर आकर्षित की जा सके।ब्याज राशि हर महीने अपीलार्थी के अभिभावक को देय होगी।यदि कोई बड़ा चिकित्सा खर्च वहन करने की आवश्यकता है**,** तो अपीलार्थी के अल्पावधि के दौरान अभिभावक चिकित्सा राय के आधार पर राशि निकालने का आदेश मांग सकता है।**[**पैरा **15] [841-**बी**-**डी**]**

जी.

एच.

834 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

क.

महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य (1994) 2 एस. सी. सी. 176-पर भरोसा किया।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2017] 13 एससीआर **100**

पर भरोसा किया

पैरा **9**

(2020) 4 एस**.** सी**.** सी**. 413**

प्रतिष्ठित

पैरा **11**

(2020) 4 एस**.** सी**.** सी**. 413**

पर भरोसा किया

पैरा **13**

(1994) 2 एससीसी **176**

पर भरोसा किया

पैरा **15**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2205-2206।

ग

2014 के सी/डब्ल्यू एम. एफ. ए. No.8297 के एम. एफ. ए. No.3077 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 07.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, शशि भूषण नागर, सुश्री सतविसा पटनायक, मेसर्स देवसा एंड कंपनी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री निधि सहाय, शशांक मनीष, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

हेमंत गुप्ता**,** जे।

ई.

1. वर्तमान अपील सड़क दुर्घटना के 5 साल के पीड़ित द्वारा की गई है जो 21.9.2010 पर हुई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के दिनांकित 7.9.2020 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें Rs.13,46,805/- का मुआवजा दिया गया है। 18,24,000-विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण 1 द्वारा प्रदान किया गया।

च

2. शिकायत अपीलार्थी को लगी चोटों के कारण मुआवजे की अपर्याप्त राशि के संबंध में है।अपीलार्थी एक पैराप्लेजिक रोगी है। अपीलार्थी ने डॉ. अमितिश नारायण को पीडब्लू-2 और डॉ. एस. अदंत्या को पीडब्लू-3 के रूप में जांच की है।डॉ. अदंत्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर से एक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं।अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज सारांश एक्सएच है। पी/10।छुट्टी प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी अपने दोनों पैरों को हिलाने में सक्षम नहीं है और उसके पैरों में पूर्ण संवेदी हानि, मूत्र असंयम, आंत्र कब्ज और बिस्तर में दर्द था।अपीलार्थी उम्रदराज़ था।

जी.

1 संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण' ए

एच.

835

मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

दुर्घटना की तारीख को लगभग 5 साल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना बचपन खो दिया है और अपने नियमित काम के लिए दूसरों पर निर्भर हैं।पीडब्लू-2 डॉ. अमितेश नारायण ने विकलांगता प्रमाण पत्र Exh.P/12 जारी किया है।वे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मैंगलोर में विभाग के प्रमुख हैं।उक्त प्रमाणपत्र इस प्रकार हैः

“केएमसी अस्पताल

30.04.2013

मंगलवार

जिसे भी यह चिंतित कर सकता है

यह प्रमाणित करने के लिए है कि मास्टर आयुष वी/8 वर्ष एस/ओ वेदव (बी. सी. रोड के निवासी) आर. टी. ए. के कारण टी 10-11 रीढ़ की हड्डी के घाव के बाद अभिघातक पैराप्लेजिया का एक ज्ञात मामला है। एल. एल. मांसपेशियों में खराब मोटर और संवेदी सुधार के कारण वह चलने में सक्षम नहीं है।वह महत्वपूर्ण डूबता अस्थासिया रवैया दिखाता है और खड़े होने पर गिर जाता है।विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार, उसे 100% स्थायी शारीरिक हानि है और वह चल नहीं पाएगा।निम्नलिखित चिकित्सा के बाद से, श्रोणि कटिबंध स्तर तक मोटर और संवेदी दोनों पहलुओं में आंशिक सुधार हुआ है।आगे की बहाली

असंभव है।इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोहनी की बैसाखी के साथ एडवांस्ड रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस (एआरजीओ) का उपयोग करें।

ग

डी.

ई.

एडवांस्ड रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस (ए. आर. जी. ओ.) के उपयोग के बाद वह कोहनी की बैसाखी के साथ स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा सकता है।

यह उनके भविष्य के जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह उपकरण उन्हें नियंत्रित गतिशीलता क्षमता देता है।

च

उनकी अच्छी प्रगति के लिए शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ।ह /-

डॉ. अमितेश नारायण

प्रोफेसर और एचओडी

जी.

फिजियोथेरेपी विभाग

के. एम. सी अस्पताल

अम्बेडकर सर्कल, मैंगलोर-575001 ईमेलःअमितेश।mpth@yahoo।कॉम मोबः9448039380"

एच.

836

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

3. उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने विभिन्न शीर्षों के तहत मुआवजे का मूल्यांकन किया जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

ग

डी.

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चिकित्सा खर्च स्वयं रु. 5,73,700 के बराबर था-पूर्व के अनुसार। पी11, जबकि उच्च न्यायालय ने केवल रु. 1,61,805-की राशि का आदेश दिया है।उच्च न्यायालय ने भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए, यानी अपीलार्थी द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण की खरीद के लिए, 5,00,000 की राशि देने का फैसला किया था, लेकिन पीडब्लू2-डॉ. अमितेश नारायण के बयान के अनुसार, उपकरण का वजन केवल 25 किलोग्राम तक है और इसे हर 5 साल में बदलना पड़ता है।न्यायाधिकरण द्वारा परिवहन शुल्क को Rs.20,000/- के रूप में घोषित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाकर Rs.70,000/- कर दिया गया था।हालांकि, यह तर्क दिया गया कि वृद्धि अभी भी अपीलार्थी द्वारा किए गए टैक्सी खर्च से कम है।न्यायाधिकरण ने ई. एक्स. पी.-13 के रूप में पेश किए गए टैक्सी खर्च के दावे को खारिज कर दिया। 1,51,500-इस आधार पर कि टैक्सी चालक को पेश नहीं किया गया था और यह भी कि जब परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध थे तो अपीलार्थी को टैक्सी द्वारा क्यों लिया गया था।इसके अलावा, अपीलार्थी को परिचर शुल्क के रूप में Rs.70,000/- और अक्षमता के लिए रु. 2,25,000-दिए गए हैं जो पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

ई.

च

जी.

5. पीडब्लू-1-कृष्ण सपल्या अपीलार्थी के पिता हैं जो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में काम कर रहे थे।विद्वत न्यायाधिकरण ने पाया है कि पिता ने अपना व्यवसाय या आय दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है।हम न्यायाधिकरण ए के इस तरह के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।

एच.

837

मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

जैसा कि एक बार उन्होंने कहा है कि वे ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय का खुलासा किया है।ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में वे एक सरकारी कर्मचारी हैं।

6. यह भी तर्क दिया गया कि काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य 2 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, घायल एक 12 साल की लड़की थी जिसे इस हद तक चोट लगी थी कि उसका आई. क्यू. उसकी उम्र के बच्चे की तुलना में 20 प्रतिशत से कम था और मेडिकल बोर्ड ने उसकी सामाजिक उम्र का आकलन केवल 9 महीने के बच्चे की होने का किया था।इस न्यायालय ने माना था कि अधिनियम की अनुसूची II का उपयोग प्रत्येक मामले में गुणक लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:"6. मानव पीड़ा और व्यक्तिगत अभाव की तुलना धन से करना असंभव है।हालाँकि, यह वही है जो अधिनियम अदालतों को करने का आदेश देता है।अदालत को हर्जाना देने का विवेकपूर्ण प्रयास करना पड़ता है, ताकि दावेदार को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।एक ओर, मुआवजे का मूल्यांकन बहुत रूढ़िवादी रूप से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, मुआवजे का मूल्यांकन भी इतने उदार तरीके से

नहीं किया जाना चाहिए ताकि इसे दावेदार के लिए एक इनाम बनाया जा सके।अदालत को मुआवजे का आकलन करते समय अभाव की मात्रा और इस तरह के अभाव के कारण होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए।इस तरह के मुआवजे को न्यायसंगत मुआवजा कहा जाता है।व्यक्तिगत चोटों के लिए मूल्यांकन किया गया मुआवजा या नुकसान घायल व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होना चाहिए।वे केवल सांकेतिक क्षति नहीं होनी चाहिए।XXX

ग

डी.

ई.

XXX

XXX

12. व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का आकलन बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करता है।शारीरिक और मानसिक नुकसान को मौद्रिक रूप में बदलना आसान नहीं है।गणना किए गए अनुमान और अनुमान का एक माप होना चाहिए।परिस्थितियों में, यथासंभव सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

च

XXX

XXX

XXX

जी.

27. वर्तमान जैसे मामले में मुआवजे का आकलन करते समय एक बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दावा केवल एक बार दिया जा सकता है।दावेदार बाद में यह प्रार्थना करते हुए पुरस्कार बढ़ाने के लिए अदालत में वापस नहीं आ सकता है कि कुछ

2 (2020) 4 एस. सी. सी. 413

एच.

838

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

अतिरिक्त खर्च किया गया है।इसलिए, अदालतों या न्यायाधिकरणों को 100% अक्षमता के मामले में मुआवजे का आकलन करते हुए, विशेष रूप से जहां मानसिक अक्षमता भी है, मुआवजे का पुरस्कार देते समय मामले पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।यह राशि प्रदान करते समय, हम न केवल शारीरिक अक्षमता बल्कि मानसिक अक्षमता और विभिन्न अन्य कारकों को भी ले रहे हैं।यह बच्चा जीवन भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा।उसकी मानसिक आयु नौ महीने के बच्चे की होगी।प्रभावी रूप से, जब तक उसका शरीर बढ़ता है, वह एक छोटी बच्ची बनी रहेगी।हम एक ऐसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से एक महिला बनेगी लेकिन मानसिक रूप से 9 महीने की बच्ची बनी रहेगी।यह लड़की अपने दोस्तों के साथ खेलने से चूक जाएगी।वह संवाद नहीं कर सकती; वह जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकती; वह कार्टून या फिल्में देखकर भी खुश नहीं हो सकती; वह बचपन के आनंद, युवावस्था के उत्साह, वैवाहिक जीवन के सुखों से चूक जाएगी; उसके ऐसे बच्चे नहीं हो सकते जिनसे वह प्यार कर सके, पोते-पोतियों की तो बात ही छोड़िए।उसे कोई खुशी नहीं होगी।उसका एक वनस्पति अस्तित्व है।इसलिए, हम

मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में महसूस करते हैं कि मामले के बारे में बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने के बाद भी इस बच्चे के दर्द और पीड़ा के लिए देय राशि कम से कम 15,00,000 होनी चाहिए।"

ग

डी.

7. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पीड़ित की अनुमानित आय का आकलन Rs.15,000/- प्रति वर्ष के रूप में किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा उचित नहीं पाया गया था।यह देखा गया कि लड़की एक कुशल कामगार को देय न्यूनतम मजदूरी की हकदार होगी।अपीलार्थी हरियाणा राज्य से था।दुर्घटना की तारीख को उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी Rs.4846-प्रति माह थी। वर्तमान अपील में, कर्नाटक राज्य में किसी भी अनुसूचित रोजगार के अंतर्गत नहीं आने वाले रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का पता राजपत्र में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी के लिए अधिसूचना के निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जा सकता हैः

ई.

च

“24.किसी भी अनुसूचित रोजगार अधिसूचना सं. के. ए. ई. 79 एल. एम. डब्ल्यू. 2005 दिनांक 17.03.2006

जी.

राजपत्र दिनांक 19.02.2007 में प्रकाशित

जीवन यापन भत्ते का भुगतान जीवन यापन लागत सूचकांक के 2703 अंकों से अधिक किया जाएगाः3944-2703=1241 अंक

न्यूनतम मजदूरी और वीडीए 01-04-2010 से 31-03-2011 A तक

एच.

839

मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

एस सी एच ई डी यू एल ई

वीडीएःकर्मचारियों की सभी श्रेणियाँः3 2703 अंकों से अधिक और उससे अधिक प्रति दिन पैसा।"

ग

8. इसलिए, उपरोक्त उद्धरण के अनुसार, 2010-11 में एक कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी रु। 3708.70।इस दृष्टिकोण से, दुर्घटना की तारीख को न्यूनतम मजदूरी को Rs.3700-तक पूरा किया जाता है।अतः मुआवजे का निर्धारण उक्त न्यूनतम मजदूरी के आधार पर इस धारणा पर किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी बहुमत प्राप्त करने के बाद अर्जित करने में सक्षम होता।

डी.

9. कुशल न्यूनतम मजदूरी के अलावा, अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत का भी हकदार होगा।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य 3 में यह न्यायालय।

ई.

10. इस प्रकार, क्षतिपूर्ति Rs.3700-प्लस 40 प्रतिशत है, जो प्रति माह Rs.5180 के बराबर है।18 का गुणक अपीलार्थी की आयु को देखते हुए लागू होगा।जीवन के लिए स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई का नुकसान इस प्रकार Rs.11,18,880/-, यानी, (3700+1480 = 5180) x 12 x 18 है।

च

11. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार, उन्नत पारस्परिक चाल ऑर्थोसिस (ए. आर. जी. ओ.) के साथ-साथ कोहनी की दोहरे बैसाखी के साथ, अपीलार्थी स्वतंत्र रूप से घेराबंदी कर सकता है।इसलिए, अपीलार्थी की स्थिति पूरी तरह से काजल से तुलनीय नहीं है जो 9 महीने के बच्चे की मानसिक आयु के साथ बिस्तर तक ही सीमित थी।इसमें अपीलार्थी अपने दोनों पैरों को हिलाने में सक्षम नहीं है और उसके पैरों में पूर्ण संवेदी हानि, मूत्र असंयम और आंत्र कब्ज और बिस्तर में दर्द था।

जी.

3 (2017) 16 एससीसी 680

एच.

840

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

12. व्यक्तिगत चोट के मामलों में नुकसान का निर्धारण आसान नहीं है।मानसिक और शारीरिक नुकसान की गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, लेकिन पीड़ित को उचित मुआवजे के भुगतान के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है।इसलिए, हम पाते हैं कि शारीरिक स्थिति को देखते हुए, अपीलार्थी अपने शेष जीवन के लिए एक परिचारक का हकदार है, हालांकि वह सहायक उपकरण की मदद से चलने में सक्षम हो सकता है।इस उपकरण को हर 5 साल में बदलने की भी आवश्यकता होती है।इसलिए, 2 उपकरणों यानी Rs.10 लाख की लागत देना उचित है।अपीलार्थी ने न केवल अपना बचपन बल्कि वयस्क जीवन भी खो दिया है।इसलिए, विवाह की संभावनाओं के नुकसान को भी सम्मानित करने की आवश्यकता होगी।विद्वत न्यायाधिकरण ने टैक्सी चालक को पेश नहीं किए जाने के कारण टैक्सी खर्च के दावे को खारिज कर दिया है।असंख्य टैक्सी चालकों को तैयार करना असंभव है।इसके अलावा, न्यायाधिकरण को उस बच्चे की स्थिति का एहसास होना चाहिए था जिसके पैरों में पूरी तरह से संवेदी हानि थी।इसलिए, अगर बच्चे के माता-पिता उसे टैक्सी में ले गए हैं, तो शायद उनके लिए यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था।तदनुसार, हम परिवहन शुल्क के रूप में 2 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हैं।

डी.

13. "भोजन और पोषण या बचपन के नुकसान के लिए" शीर्षक के तहत कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि यह अन्य विभिन्न शीर्षों के तहत मूल्यांकन किए गए मुआवजे में शामिल है।काजल में निर्णय और मुआवजे के निर्धारण के अन्य सिद्धांतों को देखते हुए, देय राशि निम्नानुसार होगीः

ई.

च

जी.

एच.

841

मास्टर आयुष बनाम शाखा प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [हेमंत गुप्ता, जे।]

क.

14. इसलिए, मुआवजे के रूप में रु। 49,93,000-न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दिए गए ब्याज के साथ और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई यानी दावा आवेदन दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक 7.5% प्रति वर्ष।

15. चूँकि अपीलार्थी नाबालिग है, इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए

न्यायालय, महाप्रबंधक, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेंद्रम बनाम सुसम्मा थॉमस और अन्य 4, की राशि

Rs.10,00,000/- अपीलार्थी के पिता को उनके संरक्षक के रूप में वितरित किया जाएगा।हालाँकि, यदि Rs.10,00,000/- से अधिक राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है, तो उक्त राशि को समायोजित नहीं किया जाएगा।शेष राशि का निवेश एक या अधिक सावधि जमा प्राप्तियों में किया जाएगा ताकि अधिकतम ब्याज दर आकर्षित की जा सके।ब्याज राशि हर महीने अपीलार्थी के अभिभावक को देय होगी।यदि कोई बड़ा चिकित्सा खर्च वहन करने की आवश्यकता है, तो यह अभिभावक के लिए, अपीलार्थी के अल्पावधि के दौरान, चिकित्सा राय के आधार पर राशि निकालने का आदेश लेने के लिए खुला होगा।

ग

डी.

16. इस प्रकार अपीलों को पूरे खर्च के अनुसार अनुमति दी जाती है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

ई.

च

जी.

4 (1994) 2 एससीसी 176

एच.